रामलाल बनाम गोपाल व अन्य
प्र.पत्रा ली-आई. 32/2024

08/02/24 जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम गोविन्दपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन आ.खं.नं. 636, 637, 262, 264, 265, 267, 268 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करे तथा मौके की यथा स्थिति बनाए रखें। यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें।
पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही पूर्वानुसार दिनांक 06/03/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

6/3/24 पत्रावली पेश
अन्य राज्य
पत्रावली
को पेश हो। 28/3/24

28/8/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उ०। लगातार बाबत रद्दी नोटिस तामील उपस्थित नहीं हमारे विरुद्ध कार्यवाही बाबत मुतालबा जाती है पत्रावली वास्ते बहस 17/5/2025 को पेश हो।

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2024.09.06 1
Reason: SelfAttest

17/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं प्रतिवादी का निस्तारण किया जा चुका है अब इस T.I. प्रकरण का आगे चलाया जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली नस्ल अमारोह दर्ज रजिस्टर में बाद रामनोल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)